उत्तर प्रदेश शासन

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या-48/2017/684/92-2-18-115जांच/2017

लखनऊ:: दिनांक:: 20 मार्च, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-फैजाबाद में वर्ष 2012-13 में विधायक निधि के अंतर्गत विकास खण्ड-हरिंगटनगंज रामआसरे इण्टर कालेज शाहगंज तक इण्टर लांकिग के कार्य में परिलक्षित शासकीय क्षति मु0 रू0 60,844.00 एवं मु0 रू0 2,60,159.00 का अधिक भुगतान किये जाने की अनियमितता हेतु प्रथम द्रष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर श्री सै0 हुंमायू जांह, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-फैजाबाद सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्व सी0एस0आर0 के अनुच्छेद'351ए के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये प्रकरण की जांच हेतु अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-मिर्जापुर विन्ध्याचल मण्डल को पदेन जांच अधिकारी तथा प्रकरण में विभागीय पक्ष/अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-फैजाबाद को पदेन प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नामित किये जाने की एतदद्वारा श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- जॉच अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि विधिवत जांच कार्यवाही पूर्ण कर जांच-आख्या (दो प्रतियों में) एक माह में शासन में उपलब्ध करायें।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूददीन

अपर मुख्य सचिव।

संख्या- 48/2018/684(1)/92-2-2018 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को उनके पत्र सं0-993/ग्रा0अ0वि0/शि0-फैजाबाद/17-18 दि0 06-02-2018 के क्रम में इस आशय से प्रेषित कि श्री सै0 हुमायू जॉह, तत्का0 अधिशासी अभियंता, (सम्प्रति से0नि0) ग्रा0अभि0विभाग, प्रखण्ड-फैजाबाद के विरूद्व आरोप पत्र गठित कर 03 दिन में शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2- जांच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग,परि0-मिर्जापुर विन्ध्याचल मण्डल।

3- प्रस्तुतकर्ता अधिकारी/अधिशासी अभियंता, ग्रा0अ0वि0, प्रखण्ड-फैजाबाद।

3- श्री सै0 हुमांयू जांह, तत्का0 अधि0अभि0,(सेवानिवृत्त) ग्रा0अभि0वि0 द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, (स्था0-1) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

4- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवध नारायण)

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in